झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0–(विविध) 26/2021– 429

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सचिव,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक :– 02.05.2022

विषयः– **झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के आंतरिक बैठक की कार्यवाही के प्रेषण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची द्वारा गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखण्ड के स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाये गये अनियमितताओं एवं लापरवाही के आरोप में उपायुक्त, गोड्डा के विरूद्ध झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली की नियम–10 (viii) के तहत् कार्रवाई से सम्बन्धित मामले पर विमर्श हेतु दिनांक–29.04.2022 को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची की अध्यक्षता में आंतरिक बैठक आहूत की गई। बैठक की कार्यवाही इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

2/5/22

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

दिनांक–29.04.2022 को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में आहूत आयोग कार्यालय की आंतरिक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–

1. श्री हिमांशु शेखर चौधरी, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
2. डॉ0 रंजना कुमारी, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
3. श्रीमती शबनम परवीन, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।
4. श्री संजय कुमार, सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारम्भ की गई।

- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा गोड्डा जिले के सुन्दरपहाड़ी प्रखण्ड के राज्य खाद्य निगम के गोदाम में निरीक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर पाये गये अनियमितता एवं लापरवाही पर उपायुक्त, गोड्डा से स्पष्टीकरण सहित कई मुद्दों पर विहित्त पत्रों में प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए पहली बार पत्र पत्रांक–780 दिनांक–26.11.2021 के माध्यम से भेजा गया था। आयोग के पत्र एवं स्मार पत्र तथा अर्द्धसरकारी पत्र उपायुक्त, गोड्डा को प्रेषित करने के बावजूद उपायुक्त, गोड्डा ने कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत नहीं कराया।
- उपायुक्त, गोड्डा के निष्क्रिय आचरण को गंभीरता से लेते हुए दिनांक–18.04.2022 को उपायुक्त, गोड्डा के आचारण के विरूद्ध उचित निर्णय हेतु आयोग की बैठक आहूत की गई। दिनांक–18.04.2022 की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि उपायुक्त, गोड्डा द्वारा आयोग के पत्रों का जवाब नहीं देना गंभीर विषय है, अतः कार्रवाई की जानी चाहिए। दिनांक–18.04.2022 की बैठक में ही उपायुक्त, गोड्डा, श्री भोर सिंह यादव के विरूद्ध झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली के नियम–10 (viii) के तहत् कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय हुआ। इस प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिये आयोग में सूचीबद्ध अधिवक्ता से संपर्क करने की जिम्मेवारी सदस्य सचिव को दी गई। आयोग के निर्णय के बाद उपायुक्त, गोड्डा द्वारा ज्ञापांक–386 दिनांक–14.04.2022 के माध्यम से खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के सचिव को स्पष्टीकरण की प्रति प्रेषित किया गया। जिसकी प्रति आयोग को दिनांक–21.04.2022 को प्राप्त हुआ।
- तत्पश्चात् आयोग को उपायुक्त, गोड्डा द्वारा प्रेषित पत्र पत्रांक–1435 दिनांक–21.04.2022 आयोग के सदस्य सचिव को दिनांक–22.04.2022 को प्राप्त हुआ। आयोग के दिनांक–18.04.2022 के बैठक में आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में सूचीबद्ध वरीष्ठतम अधिवक्ता श्री वी0एन0चौधरी से सदस्य सचिव द्वारा संपर्क किया गया। उन्होंने समय की

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

अनुपलब्धता का हवाला दिया। तत्पश्चात् सदस्य सचिव ने आयोग में सूचीबद्ध दूसरे वरीष्ठतम अधिवक्ता श्री संजय कुमार शर्मा से संपर्क कर उनसे अग्रेत्तर कार्रवाई करने का आग्रह किया। आयोग द्वारा प्रेषित और प्राप्त सभी पत्र विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार शर्मा को उपलब्ध कराया गया।

- विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने पाँच पृष्ठों का Legal Opinion दिनांक–28.04.2022 को आयोग में समर्पित किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने अपने विधिक मत के निष्कर्ष में अंकित किया है कि *"वर्तमान परिस्थिति में मेरे विचार से उपायुक्त, गोड्डा के विरूद्ध झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली–2015 की नियम–10 (viii) के तहत् कार्रवाई प्रारंभ करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है"।* **Legal Opinion की प्रति इस कार्यवाही का अंग होगा।**
- *आयोग की आज की बैठक में विद्वान अधिवक्ता के विधिक मत के अनुरूप उपायुक्त, गोड्डा श्री भोर सिंह यादव के विरूद्ध झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली–2015 की नियम–10 (viii) के तहत् कार्रवाई करने के निर्णय को सर्वसम्मति से वापस लेने का निर्णय लिया गया।*
- *विद्वान अधिवक्ता के विधिक मत के अनुरूप आयोग ने नियम–10 (viii) के तहत् कार्रवाई करने का निर्णय वापस तो ले लिया है, लेकिन आयोग उपायुक्त, गोड्डा को सख्त हिदायत देता है कि वे भविष्य में आयोग के पत्रों पर कृत कार्रवाई से ससमय अवगत कराना सुनिश्चित करें।*
- आज के बैठक की कार्यवाही की प्रति मुख्य सचिव, झारखण्ड/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, गोड्डा को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

02/05/2022

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

28/4/2022
Sanjay Kumar Sharma
ADVOCATE
Ranchi, Jharkhand

Office-cum-Residence :-
"SHIVANGAN",
Kailash Puri, Arsendey, P.O.- Kanke,
District- Ranchi, PIN- 834006
JHARKHAND
Mob. : 9835341918, 8709286414
Email-advsanjasharma556@gmail.com

Ref. No. : Comp. Civil court-1/22 *Date* : 28/04/2022

सेवा में,

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची

बिषय :– उपायुक्त गोड्डा के विरूद्ध झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली, 2015 की नियम 10 (viii)के तहत् अग्रेतर हेतु LEGAL OPINION

महाशय,

दिनांक 25.011.2021 को माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य, राँची के गोड्डा भ्रमण/निरीक्षण के क्रम दौरान सुन्दरपहाड़ी प्रखण्ड के JSFC गोदाम में अनियमित्ता पायी गयी थी। उक्त संदर्भ में झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची ने पत्रांक 780 दिनांक 26.11. 2021 एवं पत्रांक 820 दिनांक 09.12.2021 द्वारा उपायुक्त गोड्डा से कुछ बिन्दुओं को स्पष्ट करने का निदेश दिया गया था। दिनांक 16.03.2022 तक उपायुक्त गोड्डा के द्वारा कोई जबाव प्राप्त नहीं होने पर आयोग ने प्रधान सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उपायुक्त गोड्डा के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई करने की आग्रह की गई जिसकी प्रतिलिपि मुख्य सचिव, झारखण्ड एवं सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की गई। सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची ने पत्रांक 989 दिनांक 05.04.2022 के द्वारा उपायुक्त गोड्डा को झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली, 2015 की नियम 10 (viii)की जानकारी देते हुए आयोग के प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कृत कार्रवाई प्रतिवेदन दिनांक 08.04.2022 तक उपलब्ध कराने का आदेश दिया जिसकी प्रतिलिपि अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य, राँची को भी दी गई। दिनांक 18.04.2022 को माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य, राँची के अध्यक्षता में आयोग बैठक हुई जिसमें

सुन्दरपहाड़ी प्रखण्ड के JSFC गोदाम में पायी गयी अनियमित्ता में झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची के पत्रों और सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रॉची के निर्देशों के बावजूद उपायुक्त गोड्डा द्वारा कृत कार्रवाई नहीं करने के कारण झारखण्ड राज्य खाद्य, रॉची उपायुक्त गोड्डा के विरूद्ध झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली, 2015 की नियम 10 (viii)के तहत कार्रवाई प्रारम्भ करने के निष्कर्ष पर सर्व सहमति से पहुँचा। आयोग के उक्त 18.04.2022 के बैठक में यह भी निर्णय हुआ किझारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली, 2015 की नियम 10 (viii)के अनुरूप मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करने के लिए आयोग में सुचीबद्ध अधिवक्ता से अग्रेतर कार्रवाई के लिए सेवा प्राप्त करना तय हुआ।उपायुक्त गोड्डा ने ज्ञापंक 386/स्था0 गोड्डा दिनांक 14.04.2022 द्वारा सरकार के सचिव, खाद्य सार्वजनिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रॉची को संबोधित करते हुए मामले में अपने द्वारा की गई कार्रवाईयों का व्योरा दिया जिसकी प्रतिलिपि आयोग को भी दी गई। उपायुक्त गोड्डा ने पत्रांक 1435/गो0 दिनांक 21.04. 2022 द्वारा सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य, रॉची को संबोधित करते हुए मामले में अपने द्वारा की गई कार्रवाईयों का व्योरा दिया, साथ ही अनुलग्नक के रूप अपने कार्यालय पत्रांक 1368/गो0 दिनांक 27.11.2021, पत्रांक 1371/गो0 दिनांक 28.11.2021, पत्रांक 1423/गो0 दिनांक 16.12.2021, पत्रांक 1577/गो0 दिनांक 29.12.2021, पत्रांक 1188/गो0 दिनांक 29.01.2022, पत्रांक 1224/गो0 दिनांक 08.02.2022, पत्रांक 1371/गो0 दिनांक 04.04.2022, पत्रांक 1379/गो0 दिनांक 08.04.2022, पत्रांक 383/गो0 दिनांक 12.04.2022, पत्रांक 386/गो0 दिनांक 14.04.2022, पत्रांक 1433/गो0 दिनांक 21.04.2022, एवं पत्रांक 411/गो0 दिनांक 21.04.2022 संलग्न किया।

उपायुक्त गोड्डा ने पत्रांक 1435/गो0 दिनांक 21.04.2022 के अनुलग्नकों का अवलोकन किया जिससे निम्न विन्दु प्रकाश में आया जिसकी चर्चा करना न्यायोचित होगाः–

1. अनुलग्नक 1 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उपायुक्त गोड्डा ने माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची के गोड्डा भ्रमण/निरीक्षण के क्रम दौरान सुन्दरपहाड़ी प्रखण्ड के JSFC गोदाम में पायी गई अनियमित्ता संबंधित खबरों पर स्वतः संज्ञान लेकर जिला आपुर्ति पदाधिकारी, गोड्डा से स्पष्टीकरण मांगी।

2. अनुलग्नक 2 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उपायुक्त गोड्डा ने सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची के पत्रांक 780 दिनांक 26.11.2021 के अनुपालन में जिला आपुर्ति पदाधिकारी, गोड्डा से बिन्दुवार प्रतिवेदन की मांग की गई।
3. अनुलग्नक 3 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उपायुक्त गोड्डा ने सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची के पत्रांक 820 दिनांक 19.12.2021 के अनुपालन में जिला आपुर्ति पदाधिकारी, गोड्डा से बिन्दुवार प्रतिवेदन की मांग की गई।
4. अनुलग्नक 4 का अवलोकन करने से प्रतित होता है कि उपायुक्त गोड्डा के पत्रांक 1423/गो0 दिनांक 16.12.2021, के अनुपालन में जिला आपुर्ति पदाधिकारी, गोड्डा ने पत्रांक 1577/गो0 दिनांक 29.12.2021, द्वारा उपायुक्त गोड्डा को बिन्दुवार प्रतिवेदन भेजा परन्तु उपायुक्त गोड्डा ने इस तथ्य से झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची को अवगत नहीं कराया।
5. अनुलग्नक 5 का अवलोकन करने से प्रतित होता है कि जिला आपुर्ति पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक 1577/गो0 दिनांक 29.12.2021, में झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची द्वारा मांगे गये नमक एवं चीनी के अवशेष मात्रा विहित प्रपत्र. में उपलब्ध नहीं कराया गया जिस कारण से उपायुक्त गोड्डा उक्त प्रतिवेदन से झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची को अवगत नहीं करा पाया।
6. अनुलग्नक 6 का अवलोकन करने से भी यही प्रतित होता है कि जिला आपुर्ति पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक 1577/गो0 दिनांक 29.12.2021, में झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची द्वारा मांगे गये नमक एवं चीनी के अवशेष मात्रा विहित प्रप. में उपलब्ध नहीं कराया गया जिस कारण से उपायुक्त गोड्डा उक्त प्रतिवेदन से झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची को अवगत नहीं करा पाया।
7. अनुलग्नक 7 के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उपायुक्त गोड्डा ने अपने कार्यालय पत्रांक 1371/गो0 दिनांक 04.04.2022 द्वारा जिला आपुर्ति पदाधिकारी, गोड्डा से स्पष्टिकरण मांगा है कि क्यों नहीं कार्य के प्रति लापरवाहीबरतने एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना के लिए आपके विरूद्ध अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु विभाग को संसुचित कर दिया जाय।
8. अनुलग्नक 8 के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उपायुक्त गोड्डा के गोपनीय शाखा के प्रभारी पदाधिकारी ने स्थापना उपसमाहर्त्ता से जिला आपुर्ति पदाधिकारी, गोड्डा के विरूद्ध कार्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना के लिए अग्रेतर कार्रवाई हेतु विभाग को संसुचित करने हेतु उपायुक्त गोडडा के समक्ष संचिका उपस्थापित करने को सूचित किया गया है।

9. अनुलग्नक 9 का अवलोकन करने से प्रतित होता है कि जिला आपुर्ति पदाधिकारी, गोड्डा के विरूद्ध कार्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना के लिए आरोप गठित कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु सरकार के सचिव, खाद्य सार्वजनिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रॉची को भेजा है।
10. अनुलग्नक 10 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उपायुक्त गोड्डा ने ज्ञापंक 386/स्था0 गोड्डा दिनांक 14.04.2022 द्वारा सरकार के सचिव, खाद्य सार्वजनिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रॉची को संबोधित करते हुए मामले में अपने द्वारा की गई कार्रवाईयों का ब्योरा दिया साथ ही यह भी बताया गया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आधे–अधूरे प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है। इस पत्र की प्रतिलिपि आयोग को भी दी गई।
11. अनुलग्नक 11 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उपायुक्त गोड्डा ने पत्रांक1433/गो0 गोड्डा दिनांक 21.04.2022 द्वारा श्री मनोज कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, गोड्डा को झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची द्वारा मांगे गये नमक एवं चीनी के अवशेष मात्रा विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु जिला स्तर पर दण्डाधिकारी नियुक्त कर निदेशित किया कि आप जिला आपूर्ति कार्यालय, गोडडा एवं प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालयों से समन्वय स्थापित कर अविलम्ब प्रतिवेदन विहित प्रपत्र मे उपलब्ध कराना सूनिश्चित करें।
12. अनुलग्नक 11 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि मनोज कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, गोड्डा ने जिला आपूर्ति कार्यालय, गोडडा एवं प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालयों से समन्वय स्थापित कर, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची द्वारामांगे गए नमक एवं चीनी के अवशेष मात्रा प्रतिवेदन विहित प्रपत्र मे उपायुक्त गोड्डा, को पत्रांक 411/स्था0 दिनांक 21.04.2022 द्वारा उपलब्ध कराया गया। उपरोक्त विन्दु 1, 2 एवं 3 के अवलोकन से प्रतित होता है कि उपायुक्त गोड्डा ने आयोग के अनुरोध का उचित अनुपालन किया।

विन्दु 4 के अवलोकन से प्रतित होता है कि उपायुक्त गोड्डा ने जिला आपुर्ति पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा उपायुक्त गोड्डा को बिन्दुवार प्रतिवेदन आधा अधुरा एव अपूर्ण भेजा परन्तु उपायुक्त गोड्डा ने इस तथ्य से झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची को अवगत नहीं कराया।

विन्दु 5 एवं 6 के अवलोकन से प्रतित होता है कि उपायुक्त गोड्डा ने बिन्दुवार प्रतिवेदन आधा अधुरा एव अपूर्ण होने के कारण झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची को नहीं भेजा परन्तु उपायुक्त गोड्डा ने आयोग को वास्तविक्ता से अवगत नहीं कराया।

विन्दु 7, 8 एवं 9 के अवलोकन से प्रतित होता है कि उपायुक्त गोड्डा ने झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची के आदेश के अनुपालन होने वाले देर के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई प्रारम्भ की गई।

विन्दु 10 के अवलोकन से प्रतित होता है कि उपायुक्त गोड्डा ने सचिव, खाद्य सार्वजनिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रॉची को संबोधित करते हुए मामले में अपने द्वारा की गई कार्रवाईयों का व्योरा दिया साथ ही यह भी बताया गया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आध अधुरा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है। उपायुक्त गोड्डा के द्वारा इस तथ्य को झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची के समक्ष समय पर रखना चाहिए था **जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के उददेश्यों का सरकार की मंशा के अनुरुप पुरा होना सुनिश्चित होता।**

विन्दु 11 एवं 12 के अवलोकन से प्रतित होता है कि उपायुक्त गोड्डा ने झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची के आदेशों का अनुपालन में होने वाले देर के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई प्रारम्भ की गई, परन्तु यह कार्रवाई देर से प्रारम्भ की गई, **जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के उददेश्यों का सरकार की मंशा के अनुरूप पुरा होना सुनिश्चित नहीं होता है।**

उपरोक्त तथ्यों एवं घटना क्रम में उपायुक्त गोड्डा के द्वारा माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची के गोड्डा भ्रमण/निरीक्षण के क्रम दौरान सुन्दरपहाड़ी प्रखण्ड के JSFC गोदाम में पायी गई अनियमित्ता संबंधित खबरों पर स्वतः संज्ञान लेकर प्रथम दिन से ही जिला आपुर्ति पदाधिकारी, गोड्डा से स्पष्टीकरण मांगी गई एवं विधि सम्मत कार्रवाई की गई। उपायुक्त गोड्डा द्वारा जिला स्तर पर कार्रवाई तो की जा रही थी, लेकिन उसकी सूचना आयोग को ससमय नहीं दिया गया, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। उपायुक्त गोड्डा के द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रॉची द्वारा मांगे गए नमक एवं चीनी के अवशेष मात्रा प्रतिवेदन विहित प्रपत्र मे उपायुक्त गोड्डा, को पत्रांक 411/स्था0 दिनांक 21.04.2022 द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। वर्तमान परिस्थिति में मेरे विचार से **उपायुक्त गोड्डा के विरूद्ध झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली, 2015 की नियम 10 (viii) के तहत कार्रवाई प्रारम्भ करना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है।**

28/4/2022

(संजय कुमार शर्मा)
अधिवक्ता,
राँची।